उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम–2006 एवं (संशोधन) अधिनियम–2010 के अर्न्तगत जस्टिस गुरमीत राम, सेवानिवृत्त न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की दिनांक 25 सितम्बर, 2017 को सम्पन्न हुयी बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में अधिकारियों की उपस्थितिः–

1. जस्टिस गुरमीत राम, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा0 अध्यक्ष, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति।
2. डॉ0 रणवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन। (सदस्य सचिव)
3. श्री महेश चन्द्र कौशिवा, अपर सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रो0 अरूण बहुगुणा, सदस्य प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।
5. प्रो0 जगत सिंह बिष्ट, सदस्य प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।
6. श्री सुदर्शन शर्मा, चार्टेड एकाउन्टेंट, सदस्य, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।
7. श्रीमती अंजू अग्रवाल, नोडल अधिकारी, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।
8. डॉ0 आशुतोष सयाना, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. श्री विनय मोहन एवं डा0 मोहन सिंह, प्रतिनिधि श्री गुरूराम राय विश्वविद्यालय, देहरादून।

बैठक के प्रारम्भ में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, (सदस्य सचिव प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति) द्वारा प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात समिति द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड से सम्बन्धित निजी शिक्षण संस्थानों/निजी विश्वविद्यालयों के प्रवेश एवं शुल्क के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया :–

1– डा0 आशुतोश सयाना, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में दिनांक 08 सितम्बर, 2017 को उप समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें सम्मिलित प्रतिभागियों द्वारा फीस निर्धारण में पारदर्शिता लाने एवं शुल्क की युक्तियुक्तता (Reasonability) हेतु निम्न सुझाव प्रदान किये गये हैः–

- पर्वतीय, उच्च पर्वतीय, मैदानी क्षेत्रों में शुल्क हेतु मानकों की श्रेणी भिन्न–भिन्न होनी आवश्यक है।
- अलग–अलग पाठ्यकमों का शुल्क निर्धारण उनकी मांग के आधार पर होना प्रस्तावित है।
- बैलेन्स सीट के आधार पर विगत तीन वर्षो के औसत वार्षिक व्यय को संज्ञान में लिया जाये। इसमें Fixed Asset का Depreciation भी जोडा जाये। इस प्रकार प्राप्त कुल धनराशि को छात्रों की कुल स्वीकृत संख्या से विभाजित कर प्रति छात्र औसत फीस का निर्धारण किया जाये।
- विभिन्न पाठ्यकमों हेतु जैसे ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, बी0एस0सी0(नर्सिंग), पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग, एम0एस0सी0(नर्सिंग) को उपयोगिता एवं संभावित व्यय के अनुसार 10 प्रतिशत कम या ज्यादा कर, शुल्क का निर्धारण किया जाये।
- हॉस्टल व मेस का शुल्क छात्रों के आवासीय सुविधा का उपभोग करने पर ही लिया जाये।
- फीस का निर्धारण बिन्दु (1) पर पर्वतीय व मैदानी जनपदों हेतु पृथक–पृथक से करने पर भी विचार किया जा सकता है इस हेतु प्रत्येक श्रेणी के समस्त कॉलजों के निर्धारित फीस का औसत भी एक मानक के रूप में तय किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उपसमिति की बैठक में निजी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान के शुल्क निर्धारण पर विचार, विमर्श किया गया। श्री सुदर्शन शर्मा, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, सदस्य, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय स्तर से प्रेषित्र किये गये निजी एवं पैरामेडिकल पाठ्यकमों के विभिन्न प्रस्ताव में से तीन संस्थानों (निजी नर्सिंग संस्था–स्वामी भूमानन्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हरिद्वार, अरिहन्त कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हरिद्वार एवं निजी पैरामेडिकल संस्था–उत्तरांचल पी0जी0 कॉलेज, सहारनपुर रोड, देहरादून) का शुल्क का आंकलन ऑडिटिड बैलेस शीट के आधार पर प्रस्तुत किया गया।

Scanned by CamScanner

उपसमिति द्वारा प्रस्तुत तीन संस्थानों–1. स्वामी भूमानन्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हरिद्वार, 2. अरिहन्त कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हरिद्वार 3. उत्तरांचल पी0जी0 कॉलेज, सहारनपुर रोड, देहरादून के प्रस्तावित शुल्क संबंधी प्रस्तावों पर प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा उक्त संस्थानों के शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्तावों में अत्याधिक कमियॉ होने के दृष्टिगत पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में परिपक्व प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

(कार्यवाही चिकित्सा शिक्षा विभाग)

2– निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा यंह भी अवगत कराया गया कि पैरामेडिकल संस्थानों हेतु पूर्व में कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की दिनांक 02 अगस्त, 2017 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–2 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंव तमिलनाडू की वैबसाईटों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु दर्शायें गये शुल्कों के आधार तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया। तुलनात्मक विवरण को आधार मानते हुए उप समिति द्वारा राज्य में संचालित निजी पैरामेडिकल संस्थानों हेतु अन्तरिम शुल्क के रूप में शुल्क प्रस्तावित किया गया है।

पैरामेडिकल संस्थानों के शुल्क निर्धारण संबंधी परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त छात्र हित में समस्त निजी पैरामेडिकल संस्थानों हेतु (उत्तरांचल पी0जी0 कॉलेज, सहारनपुर रोड, देहरादून को छोडकर) उपसमिति द्वारा प्रस्तावित शुल्क, इस शर्त के साथ कि संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु सम्बद्धता प्राप्त कर ली गई हो, अंतरिम रूप से निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया :–

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की अवधि	शिक्षण शुल्क	
			राज्य कोटे की सीट	प्रबन्धकीय कोटे की सीट
1	Paramedical Diploma Courses (in any stream)	सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 तक	35000/–	50000/–
2	Paramedical Degree Courses (in any stream)	सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 तक	45000/–	60000/–
3.	Paramedical PG Courses (in any stream)	सत्र 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 तक	55000/–	70000/–

(कार्यवाही चिकित्सा शिक्षा विभाग)

3– कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाही थौल, टिहरी गढवाल के पत्र दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा स्ववित्त पोषित संस्थानों के 02 संगठनों–एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाईनेंस कॉलेज्ज द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु आयोजित कॉमन प्रवेश परीक्षा सत्र 2016–18 को सम्पन्न कराये जाने हेतु उत्पन्न विवाद संबंधी प्रकरण को प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम–2006 की धारा–4(11) में निम्न प्राविधान अंकित है :–

11. समिति ऐसे अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के समुह अथवा समुह को मान्यता प्रदान करेगी, जो कॉमन प्रवेश परीक्षा के सम्पादन हेतु संगठन बनायेगा।

समिति के समक्ष यह भी संज्ञान में लाया गया कि गढवाल एवं कुमाऊॅ मण्डल में प्रबन्धकीय कोटे की बी0एड0 पाठ्यक्रम की सीटों हेतु कॉमन प्रवेश परीक्षा के सम्पादन हेतु आतिथि तक किसी भी अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के समूह अथवा समूहों को प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है। वर्तमान में कुमाऊॅ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा कुमाऊॅ मण्डल के समस्त स्ववित्त पोषित संस्थानों के बी0एड0 पाठ्यक्रम के राजकीय एवं प्रबन्धकीय

Scanned by CamScanner

कोटे की सीटों हेतु कॉमन प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करायी जाती है। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कॉमन प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर संबंधित स्ववित्त पोषित संस्थानों/कॉलेजों द्वारा स्वयं प्रबन्धकीय सीटों को भरे जाने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

विचार–विमर्शोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूँकि स्ववित्त पोषित संस्थानों के दोनों संगठनों–एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाईनेंस कॉलेज्ज, को प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा आतिथि तक मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इस दृष्टिगत छात्र हित में कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु संचालित व्यवस्था के समान ही गढवाल मण्डल के समस्त निजी बी0एड0 कॉलेजों की प्रबन्धकीय कोटे की सीटों हेतु कॉमन प्रवेश परीक्षा का आयोजन श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल द्वारा किया जायेगा। उक्त कॉमन प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर संबंधित स्ववित्त पोषित बी0एड0 संस्थानों/कॉलेजों द्वारा स्वयं प्रबन्धकीय सीटों को भरे जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग)

4– श्री गुरू राम राय मेडिकल कॉलेज, पटेलनगर, देहरादून द्वारा मेडिकल प्रवेशित छात्र–छात्राओं से अधिक शुल्क लिये जाने की शिकायत के संबंध में भी विस्तृत विचार–विमर्श किया गया :–

1.1 श्री गुरूराम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेज के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनका संस्थान लाभ कमाने के लिये नहीं चलाया जा रहा है एवं समिति द्वारा पूर्व में निर्धारित शुल्क अत्याधिक कम है। नया वेतनमान आने से विश्वविद्यालय में तैनात कार्मिकों के वेतन में भी बढोत्तरी हुई है। उक्त स्थिति में संस्थान की वित्तीय स्थिति खराब हो जायेगी एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से संस्थान को चलाया जाना संभव नहीं होगा। यह भी अवगत कराया गया कि एम0बी0बी0एस0 के शुल्क निर्धारण के पश्चात उनके द्वारा एक अपील दर्ज की गयी थी, परन्तु अपीलीय प्राधिकरण का गठन न होने कारण सुनवाई नहीं हो पायी। श्री गुरूराम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेज के प्रतिनिधि द्वारा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2016–17 के शुल्क का पुनर्निधारण करने एवं पी0जी0 पाठ्यक्रम 2017–18 के शुल्क का निर्धारण करने का अनुरोध किया गया।

मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा कई एम0बी0बी0एस0 छात्रों से अधिक शुल्क लिये जाने का क्या कारण है, स्पष्ट किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त संबंध में श्री गुरू राम राय इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईसेज के अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि यह प्रकरण उपरोक्त कथन से ही सम्बन्धित है। अतः एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2016–17 के शुल्क का पुनर्निधारण करने एवं पी0जी0 पाठ्यक्रम के शैक्षिक सत्र 2017–18 के शुल्क का निर्धारण करने का अनुरोध किया गया। यह संस्थान द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संस्थान मात्र एक वर्ष के लिये शुल्क निर्धारित करना चाहता है।

1.2 संयुक्त सचिव, न्याय द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम–2006 एवं (संशोधन) अधिनियम–2010 में प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति को अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क को रिव्यू करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। जब तक अधिनियम में रिव्यू संबंधी प्राविधान अंकित न हो, तब तक प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति किसी भी निर्धारित शुल्क का "रिव्यू" नहीं कर सकती है। अधिनियम की धारा–12(1) के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण में ही प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है।

1.3 सदस्य सचिव, प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण विनियम)

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–659 / XXIV(3)–49(06) / 2012
देहरादून : दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, न्याय, चिकित्सा शिक्षा, तकनी शिक्षा, आयुष शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय संज्ञानार्थ।
3. समस्त सदस्य–प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड ।
5. नोडल अधिकारी, (उच्च शिक्षा), प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–6
संख्याः 575/XXVIII(6)/2020-04(पैरा)/2019
देहरादूनः दिनांक ०५ दिसम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य स्थित निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान/नर्सिंग शिक्षण संस्थान के विभिन्न पाठयक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2020–2021, 2021–2022 एवं 2022–2023 हेतु शुल्क निर्धारित किये जाने के लिये निदेशक चिकित्सा शिक्षा के प्रस्ताव संख्या 1676 दिनांक 09.10.2020 एवं 1678 दिनांक 09.10.2020 को शासन के पत्र संख्या 515/XXVIII(6)/2020-04(para)/2019 दिनांक 28.10.2020 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किया गया, जिसे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.11.2020 को नोडल अधिकारी प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति की आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित कर दिया गया है। किन्तु आई0एन0सी0 द्वारा नर्सिंग पाठयक्रमों में सत्र 2020–2021 में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि दिनांक 31.12.2020 निर्धारित की गयी है तथा उक्त तिथि से पूर्व राज्य स्तरीय काउन्सलिंग की सम्पूर्ण कार्यवाही की जानी है।

उक्त क्रम में दिनांक 24.11.2020 को कुलपति हे0न0ब0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय काउन्सलिंग की बोर्ड बैठक आहूत की गयी। जिसमें उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति की आगामी बैठक की संस्तुति प्राप्त होने तक अथवा मात्र सत्र 2020–2021 हेतु उत्तराखण्ड राज्य स्थिति निजी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान/नर्सिंग शिक्षण संस्थान के विभिन्न पाठयक्रमों हेतु गत् सत्र में उत्तराखण्ड प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क को ही उन्ही प्रतिबन्धों के साथ यथावत् निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

अतः विश्वविद्यालय काउन्सलिंग बोर्ड बैठक की संस्तुति के क्रम में शुल्क नियामक समिति की आगामी संस्तुति अथवा मात्र एक शिक्षा सत्र 2020–2021 हेतु निजी नर्सिंग पाठयक्रमों हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क कार्यालय ज्ञाप संख्या 539/XXVIII(2)/2017-17(Nursing)/2013 दिनांक 22.09.2017, संख्या 806/XXVIII(2)/2017-17(Nursing)/2013 दिनांक 26.12.2017 एवं निजी पैरामेडिकल पाठयक्रमों हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क कार्यालय ज्ञाप संख्या 652/XXVIII(2)/2017-17(Nursing)/2013 दिनांक 01.11.2017 को उन्ही शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथावत् लागू किये जाने कि श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

कृपया तदनुसार काउन्सलिंग कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्र0)।

पृष्ठांकन संख्या 575/XXVIII(6)/ 2020-04(पैरा)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, 107—चन्दन नगर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त निजी पैरामेडिकल/नर्सिंग संस्थान, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, देहरादून।
5. नोडल अधिकारी, प्रवेश तथा शुल्क नियामक समिति, दून विश्वविद्यालय कैम्पस देहरादून।
6. एन0आई0सी0/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
संयुक्त सचिव।